

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 1125  
 - श्री वीरेन्द्र रघुवंशी  
 सहस्य का नाम  
 सदन में उत्तर देने का दिनांक - 18.03.2020

परिशिष्ट

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शिवपुरी म.प्र.

विधानसभा क्षेत्र कोलारस के अन्तर्गत उपार्जन संस्थाओं में शॉर्टेज के कारण कृषकों के भुगतान शेष संबंधी एवं संबंधितों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्रं.	विपणन वर्ष	उपार्जन संस्था का नाम	जिन्स का नाम	उपार्जन केन्द्र पर शॉर्टेज के कारण भुगतान हेतु शेष		उपार्जन केन्द्र प्रमारी द्वारा कृषकों को भुगतान हेतु शेष		दिनांक 05-03-2020 पर भुगतान हेतु शेष		उत्तरदायी कर्मचारी का नाम	की गयी कार्यवाही	भुगतान विलम्ब होने का कारण
				संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रबी 2018-19	खरेह	चना, मसूर, सरसो	19	19.05	0	0.00	19	19.05	श्री संतोष शर्मा	FIR दर्ज, धारा उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर में प्रकरण क्र./WP /4990/19 में स्टे	वर्ष 2018-19 में खरेह, पीरोठ, अटलपुर, कुटवारा की बकाया राशि के भुगतान हेतु प्रतियुक्ति हेतु कलेक्टर शिवपुरी के पत्र क्र. 1013 दिनांक 29-07-2019 को 48.21 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। एम.डी. मार्केड के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर श्री.एम.ओ. से प्रस्ताव चाहा गया जिसे कलेक्टर द्वारा बकाया कृषकों का सत्यापन करने हेतु अपने पत्र क्र./ 2805 दिनांक 04-03-2020 से एस.डी.एम. कोलारस से जॉच प्रतिवेदन चाहा गया। जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।
2	रबी 2018-19	पीरोठ	चना, मसूर, सरसो	35	17.13	23	12.02	12	5.11	श्री उदयभान सिंह	सेवा समाप्त की गयी, उप पंजीयक न्यायालय शिवपुरी में धारा 58 (बी) प्रकरण दर्ज, आर्बीट्रेशन क्र. 261 दिनांक 12-06-2019 से मार्केड में प्रकरण दर्ज	
3	रबी 2018-19	अटलपुर	चना, मसूर, सरसो	17	4.33	0	0.00	17	4.33	श्री राजेश शर्मा	माननीय उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर से प्रकरण क्र. WP / 26265 / 18 पर प्रकरण दायर कर स्टे	
4	रबी 2018-19	कुटवारा	चना, मसूर, सरसो	17	7.70	17	7.70	0	0.00	श्री विश्राम यादव	निलम्बित किया गया, कृषकों को भुगतान कर दिया गया है	
			योग	88	48.21	40	19.72	48	28.49			
5	खरीफ 2018-19	राई	उड़द	76	36.75	20	12.08	56	24.67	श्री बलेश पाठक	धाना कोलारस में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया, धारा 64 में उप पंजीयक न्यायालय शिवपुरी में वसूली हेतु दावा दायर	उत्तरदायी कर्मचारी से राशि जमा कराने में विलम्ब होने से 76 किसानों में से 56 किसानों का भुगतान शेष है।

[ 18/3/2020 ]

प्रश्न सं. [ 1125 ]

क्र.	विपणन वर्ष	उपार्जन संस्था का नाम	जिन्स का नाम	उपार्जन केन्द्र पर शोर्टेज के कारण भुगतान हेतु शेष		उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा कृषकों को भुगतान		दिनांक 05-03-2020 पर भुगतान हेतु शेष		उत्तरदायी कर्मचारी का नाम	की गयी कार्यवाही	भुगतान विलम्ब होने का कारण
				संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	खरीफ 2018-19	बैहटा	358	41.81	14	5.07	7	5.07	9	10	श्री अरविन्द रावत	उत्तरदायी कर्मचारी से राशि जमा कराने में विलम्ब होने से
6			योग	90	41.81	34	17.15	56	24.67			
7	रबी 2019-20	बैहटा	चना, मसूर, सरसो	124	206.33	110	163.30	14	43.03	श्री लक्ष्मण रावत	थाना कोलास में एफ.आई.आर. दर्ज, धारा 58(बी) के तहत रुपये 206.00 लाख की डिग्री प्राप्त, वसूली अधिकारी द्वारा कार्यवाही जारी	अमानक जिंस की ई-नीलामी की गयी। ई-नीलामी की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। ई-नीलामी के उपरंत कृषकों की भूमि का मौलिक सत्यापन कराया गया। उनमें से 14 कृषकों की स्वयं की भूमि न होना बताया है। न ही कृषकों द्वारा भुगतान की कोई मांग की गयी है। भूमि के दस्तावेज के साथ मांग प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
8	रबी 2019-20	लुकवासा	चना, मसूर, सरसो	45	36.16	38	28.36	7	7.80	श्री विजयराज सिंह	लिलबन किया गया, एफ.आई.आर. की कार्यवाही जारी	उत्तरदायी कर्मचारी से राशि जमा कराने में विलम्ब होने से 45 कृषकों में से 7 कृषकों का भुगतान शेष है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
9	रबी 2019-20	अकालिरी	चना, मसूर, सरसो	176	246.92	155	196.10	21	50.83	श्री प्रकाश जैन	आबीटेशन में प्रकरण क्र. 19 बी / 121 दर्ज	उत्तरदायी कर्मचारी से राशि जमा कराने में विलम्ब होने से
			योग	354	336.95	229	232.97	125	103.98			

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
जिला सहकारी कृषि बैंक सर्वो, शिवपुरी

श्री. उर्फ आयुक्त  
सहकारिता जिला शिवपुरी  
अनुभाग कारिकारी

संयुक्त आयुक्त  
सहकारिता, म.प्र.